भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.03.2020 के

तारांकित प्रश्न सं. 344 का उत्तर

इम्फाल-तुपुल-जीरीबाम रेल परियोजना का निर्माण

***344. डॉ. आर.के. रंजनः**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने इम्फाल-तुपुल-जीरीबाम रेल परियोजना के निर्माण का कार्य समय पर पूरा करने के लिये इस परियोजना के निर्माण में आने वाली समस्त प्रकार की अड़चनों/बाधाओं को समाप्त करने के लिये आवश्यक उपाय आरंभ किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इम्फाल-जीरीबाम रेल परियोजना के लिये अभियांत्रिकी खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) प्रविधि तथा परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) को अनिवार्य बनाया गया है/बनाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

इम्फाल-तुपुल-जीरीबाम रेल परियोजना के निर्माण के संबंध में दिनांक 18.03.2020 को लोक सभा में डॉ. आर. के. रंजन के तारांकित प्रश्न सं.344 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): जी हां। मणिपुर राज्य में जीरीबाम-तुपुल-इम्फाल नई लाइन के परियोजना क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार और मणिपुर राज्य सरकार द्वारा अर्ध-सैनिक बलों की लगभग तीन बटालियन तैनात की गई हैं। इसके अलावा, परियोजना क्षेत्र में 38 सुरक्षा शिविरों में रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रादेशिक सेना की एक बटालियन तैनात की गई है।

फीडर रोड अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर 19 बैले प्रकार के कमजोर पुलों में से, जिनपर भार और गति के कड़े प्रतिबंध थे, जिससे कार्य निर्माण स्थलों पर मनुष्यों, सामानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), मणिपुर राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ निकट समन्वय करके ऐसे 14 कमजोर पुलों का पुनर्निर्माण किया जा चुका है। शेष 5 पुलों में से, 2 पुलों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ): यह एक पहले से चल रही परियोजना है और इसके मुख्य ठेके 2008 से 2016 के दौरान दिए जा चुके थे। इस परियोजना की समग्र वास्तविक प्रगति लगभग 80% है। पहले से चल रही इस परियोजना के लिए, इंजीनियरी प्रापण और निर्माण (ईपीसी) तथा परियोजना प्रबंधन परामर्श संबंधी ठेके (पीएमसी) अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****